

2017-18 के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 पर रिपोर्ट करें

क	प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	106
ख	उन निर्णयों की संख्या जहां आवेदन अनुरोधों के अनुसार दस्तावेजों तक पहुंचने के हकदार थे, अधिनियम के प्रावधान जिसके तहत इन निर्णयों को बनाया गया था और इस तरह के प्रावधानों को लागू करने की संख्या	104
ग	समीक्षा के लिए केंद्रीय केंद्रीय सूचना आयोग को संदर्भित अपीलों की संख्या, अपील की प्रकृति और अपीलों का आउटकम।	03 अपील समीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को संदर्भित किया गया।
घ	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी भी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण।	शून्य
ङ	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित शुल्कों की राशि।	रु.520/-
च	आरटीआई स्पिरिट को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए प्रयासों को इंगित करने के लिए विवरण।	एमएसटीसी में वेब पोर्टल अर्थात https://rtionline.gov.in के माध्यम से आरटीआई आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा है। संगठन एक पारदर्शिता अधिकारी, एक प्रथम अपील प्राधिकारी, एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक नोडल अधिकारी प्रधान कार्यालय में हैं। इसके साथ ही कंपनी में विभिन्न स्थानों से प्राप्त आरटीआई आवेदनों के प्रभावी प्रसंस्करण हेतु हर क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों में एक पीआईओ और एक एपीआईओ हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपील को संसाधित किया जाता है।
छ	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव, विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, अधिनियम के संशोधन के लिए सुधार या अन्य कानून या आम कानून या परिचालन के लिए प्रासंगिक किसी भी अन्य सामग्री सहित	कृपया कोई टिप्पणी नहीं।

	जानकारी तक पहुंचने का अधिकार	
--	------------------------------	--